"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 22, शक 1927

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-19/दो/आठ-परि./2003.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त शक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, रायपुर, दाऊ कल्याण सिंह भवन, कक्ष क्रमांक-154 को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 70 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 70-क जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"70-क प्रक्रम वाहनों के परमिट स्वीकृत एवं नवीनीकरण करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत—

(1) यात्रिओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जावेगा :—

(क) लघु मार्ग जिसकी दूरी 65 कि.मी. से अधिक नहीं है.
(ख) मध्यम मार्ग जिसकी दूरी 65 कि.मी. से अधिक किन्तु 165 कि.मी. से अधिक नहीं है, एवं
(ग) दीर्घ मार्ग जिसकी दूरी 165 कि.मी. से अधिक है.

(2) प्रक्रम वाहन के परमिट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन होगा :—

(एक) दीर्घ मार्ग पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृत अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) वाहन अपने मूल पंजीयन दिनांक से 08 वर्ष से अधिक पुरानी है.
(ख) मार्ग की कुल दूरी का आधा से अधिक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्यीय राजमार्ग अथवा दोनों से आच्छादित हो.
(ग) वाहन की बैठक क्षमता है;

(i) डीलक्स यात्री बस के लिए चालक एवं परिचालक को छोड़कर 35 सीट से कम हो, और
(ii) साधारण बस के लिए चालक एवं परिचालक को छोड़कर 40 सीट से कम हो.

(दो) मध्यम मार्ग पर प्रक्रम परमिट स्वीकृत नहीं किये जाएंगे, यदि—

(क) वाहन अपने मूल पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष पुरानी है.
(ख) मार्ग की कुल दूरी का आधा से अधिक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्यीय राजमार्ग अथवा दोनों से आच्छादित हो.
(ग) चालक एवं परिचालक को छोड़कर वाहन की बैठक क्षमता 30 अथवा 30 से कम हो.

(तीन) लघु मार्ग पर प्रक्रम वाहनों के परमिट स्वीकृत नहीं किये जाएंगे, यदि वाहन अपने मूल पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष से अधिक पुरानी हो.

(चार) इस उप-नियम के अंतर्गत स्वीकृत प्रथम परमिट उस दिनांक से अवैध माने जाएंगे, जिस दिनांक को परमिट से आच्छादित वाहन दीर्घ मार्ग की स्थिति में 08 वर्ष मध्यम मार्ग की स्थिति में 10 वर्ष एवं लघु मार्ग की स्थिति में 12 वर्ष पूर्ण कर लेती है, जब तक की वाहन का प्रतिस्थापन न किया गया हो.

(3) इस नियम के उपनियम (1) तथा (2) इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 24 माह की कालावधि के पश्चात् इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट पर लागू होंगे.

Raipur, the 8th December 2005

NOTIFICATION

No. F 5-19/Two/Eight-Trans./2003.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby, published as required by sub-section (1) of section 212 of the said act for the

information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette"

Any objection or suggestion which may be received by the Addl. Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Home and Transport Department, Raipur, Dau Kalyan Singh Bhawan, Room No.154, from any person with respect to the said draft before expiry of the aforesaid specified period will be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules,—

After rule 70 the following rule 70-A shall be added, namely—

"70-A. Guiding principles for grant and renewal of stage carriage permits—

(1) To ensure safety and convenience of travelling passengers, routes shall be classified as follows :—

(a) Short route which covers a distance of not more than 65 Kms.
(b) Medium route which covers a distance of over 65 Kms. but not exceeding 165 Kms; and
(c) Long route which covers a distance of more than 165 Kms.

(2) The grant and renewal of stage carriage permit shall be subject to the following provisions :—

(i) No stage carriage permit shall be granted or renewed on long routes if—

(a) the vehicle is more than 08 years old from the date of initial registration;
(b) More than half the distance of the route consist, of National Highway or State Highway or both; and
(c) the seating capacity of such vehicle is;

(i) less than 35 seats in case of deluxe bus excluding driver and conductor; and
(ii) less than 40 seats in case of ordinary bus excluding driver and conductor.

(ii) No stage carriage permit shall be granted or renewed on medium route if,—

(a) the vehicle is more than 10 years old from the date of initial registration;
(b) more than half of the distance of the route consist of National and or State Highway or both;
(c) the seating capacity of vehicle is 30 or less than 30 excluding the driver and conductor.

(iii) No Stage carriage permit shall he granted or renewed on short route if the vehicle is more than 12 years old from the date of initial registration.

(iv) A stage carriage permit granted under these sub-rules shall be deemed to be invalid from the date on which stage carriage covered by the permit completes 08 years in case of long route, 10 years in case of medium route and 12 years in case of short route, unless such stage carriage is replaced.

(3) The sub-rules (1) and (2) of this rule shall apply to a stage carriage permit granted prior to the coming into force of this rule after a period of 24 months from the date of the publication of this rule in the official gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.